कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– क.प्र./ले.व ह./कैन्टीन/अनुबन्ध/2024–25/ के– 105 / दिनांकः

निविदा सूचना

कार्यालय महालेखाकार के अन्तर्गत संचालित विभागीय जलपान गृह में कार्य हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं/फर्मों से कुल 13 कुशल/अर्द्ध–कुशल /अकुशल कर्मी उपलब्ध कराने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। इन बाह्य स्त्रोत के 13 कर्मियों में एक लिपिक (कुशल कर्मी), दो हलवाई–कम–कुक (कुशल कर्मी) (जिसमें एक साउथ इण्यिन कुक हो), दो सहायक हलवाई–कम–कुक (अर्द्धकुशल कर्मी) एवं आठ कैंटीन अटेन्डेन्ट (अकुशल कर्मी) शामिल है।

इस निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें इस कार्यालय की वेबसाइट http://cag.gov.in/ae/rajasthan/en एवं Central Public Procurement Portal (CPPP) पोर्टल पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– क.प्र./ले.व ह./कैन्टीन/अनुबन्ध/2024–25/ के–105/ दिनांक

विषय :– विभागीय जलपान गृह में बाह्य स्त्रोत से कर्मियों को लेने हेतु।

कार्यालय महालेखाकार के अन्तर्गत संचालित विभागीय जलपान गृह में बाह्य स्त्रोत से 13 कर्मियों यथा एक लिपिक (कुशल कर्मी), दो हलवाई–कम–कुक (कुशल कर्मी) (जिसमें एक साउथ इण्यिन कुक हो), दो सहायक हलवाई–कम–कुक (अर्द्धकुशल कर्मी) एवं आठ कैंटीन अटेन्डेन्ट (टी मेकर/कॉफी मेकर/ बियरर/ वॉशबाय) (अकुशल कर्मी) उपलब्ध करवाये जाने है। कार्यालय की मांग/आवश्यकता अनुसार उक्त 13 कर्मियों की संख्या कम/ज्यादा की जा सकती है। कार्यालय द्वारा इस कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से, जो कि ऐसे कार्य में निपुण हो तथा विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंक या निगम कार्यालयों में ऐसी पूर्ति करती रही हो उनसे निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. <u>कार्य का प्रकारः–</u> बाह्य स्त्रोत से रखे गये कर्मियों से विभागीय जलपान गृह में किये जाने वाले सभी प्रकार के कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
2. <u>निविदादाता की योग्यताएँः–</u>
   i. फर्म अवश्य ही श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत/ प्रमाणित हो तथा उसका कार्यालय परिसर जयपुर में हो।
   ii. फर्म का अपना वैध PAN/TAN, BRN (Business Registration Number) एवं GST पंजीकरण प्रमाण पत्र हो।
   iii. फर्म ESIC तथा EPFO प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हो।
   iv. फर्म को सरकारी, अर्द्ध सरकारी, बैंक या निगम कार्यालयों में श्रमिक लगाने का अनुभव होना चाहिये। इस संबंध में सभी दस्तावेज साथ में संलग्न हो।
   v. श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करती हो।
   vi. निविदा केवल GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी है।
   vii. पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित (Audited) बैंलेन्स शीट ।
   viii. फर्म को GeM पोर्टल एवं कार्यालय के सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार होने की सहमति देनी होगी।

सामान्य नियम व शर्तें

1. निविदा के साथ रूपये 80,000/– (रूपये अस्सी हजार मात्र) की धरोहर राशि (Bid Security) टेण्डर के साथ जयपुर में देय बैंक ड्राफ्ट (PAO/IAD) के नाम जमा करानी होगी । जिस फर्म का ठेका स्वीकृत नहीं होगा उसकी धरोहर राशि की रकम लौटा दी जावेगी। ठेका स्वीकृत होने के पश्चात यदि ठेकेदार/फर्म अपने टेण्डर से विमुख होगा या अगले पांच कार्य दिवसों में निर्धारित प्रतिभूति की रकम जमा नहीं करायेगा व अनुबन्ध नहीं भरेगा तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
2. धरोहर राशि का साक्ष्य बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा साथ ही बिड की अंतिम तारीख/खोलने की तारीख से पांच दिन पूर्व मूल डी.डी. कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. जिस फर्म का ठेका स्वीकृत होगा उसे कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर से सूचना मिलने के 5 दिन के अन्दर वार्षिक ठेके की कुल राशि का 5 प्रतिशत (निकटतम हजारों में) प्रतिभूति (Performance Security) के रुप में जमा करवाने होगें।
4. विभागीय जलपान गृह में कर्मी उपलब्ध कराने का ठेका प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2024 से 31.3.2025 तक की अवधि के लिए होगा। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से अवधि बढाई जा सकती है।
5. प्रत्येक कार्य दिवस में हलवाई/सहायक हलवाई की कार्य अवधि प्रातः 8:30 से सायः 5:00 बजे तक, लिपिक की कार्य अवधि प्रातः 9:30 से सायः 6:00 बजे तक तथा शेष श्रमिकों की कार्य अवधि प्रातः 9:00 से सायः 5:30 बजे तक रहेगी जिसमें 2:30 (पी.एम.) से 3:00 (पी.एम.) तक भोजनावकाश रहेगा।
6. GST, EPF, ESIC व अन्य वैधानिक राशि ठेकेदार को जमा करानी होगी व इसका प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. फर्म निम्न प्रकार के अधिनियमों एवं इनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों का पालन करेगी तथा किसी प्रकार की कमी होने पर स्वयं जिम्मेदार होगी:–
   (a) अनुबन्ध श्रम अधिनियम(विनिमयन एवं उन्मूलन) 1970
   (b) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
   (c) Workmen's Compensation Act.
   (d) Any other rules, regulation and/ or statutes as may be applicable to them from time to time.
8. जिस फर्म को पूर्व में विभागीय जलपान गृह से संबंधित कार्य का अनुभव होगा, उसे वरीयता दी जावेगी । अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. फर्म को प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 13 बाह्य स्त्रोत कर्मी उपलब्ध करवाने होगे। यदि कोई बाह्य स्त्रोत कर्मी उपलब्ध नहीं होता है तो उसके स्थान पर उचित कर्मी की तुरन्त व्यवस्था फर्म को करनी होगी।
10. यदि किसी कार्य दिवस अथवा अकार्य दिवस (शनिवार/रविवार/अवकाश) को अनुबन्धानुसार /कार्यादेशानुसार जलपान गृह के कार्यरत कर्मियों के अलावा कार्य हेतु अतिरिक्त कर्मियों को उपलब्ध करवाने हेतु फर्म को कहा जाता है तो कर्मियों को लगाये जाने पर श्रमिकों की श्रेणी एवं संख्या अनुसार निर्धारित दर से फर्म को अतिरिक्त भुगतान कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

11. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों के सद्व्यवहार के प्रति केवल फर्म ही पूर्णरुपेण उत्तरदायी होगा। यदि किसी कर्मी की किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो फर्म द्वारा उसे तुरन्त हटाया जायेगा तथा उसके स्थानापन्न यथा योग्य कर्मी की व्यवस्था फर्म द्वारा अविलम्ब की जायेगी।
12. निर्धारित समय पर फर्म के कर्मियों द्वारा आंवटित कार्य न करने पर कार्यालय के कर्मचारियों को हुई असुविधा के लिए फर्म पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होता है तो वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम होगा जो कि फर्म को निर्विवाद रुप से मान्य होगा।
13. फर्म अपने कर्मियों को वर्दी अपने खर्च पर देगी जिसे कार्यरत कर्मी ड्यूटी के दौरान पहना रहेगा जिससे उसके फर्म का कर्मी होने का पता चल सके।
14. ठेकेदार/फर्म को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी सभी हिदायतों व आदेशों का अनुबन्ध में समावेश ना होते हुए भी पालन करना होगा।
15. फर्म द्वारा विभागीय जलपान गृह में कार्य पर रखे गये अपने कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जायेगा। श्रमिकों के बाल एवं नाखून समय–समय पर कटे हों । कर्मी किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नही हों, इस हेतु प्रत्येक 6 माह में विभागीय जलपान गृह में कार्य करने योग्य स्वास्थ्य सक्षमता प्रमाण पत्र (Medical fitness certificate) प्रस्तुत करना होगा। कोविड के दौरान फर्म ही अपने बाह्य स्त्रोत कर्मियों के स्वास्थ्य की देख रेख एवं अन्य उपचार आदि के लिये पूर्णतया स्वंय जिम्मेदार होगी।
16. कोई भी पक्ष बिना कारण बताये दो माह पूर्व का लिखित नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकेगा। यदि दो माह का नोटिस दिये बगैर ठेकेदार छोड़ देता है तो उसकी समस्त जमा एवं बकाया राशियाँ जब्त की जा सकेगीं।
17. इस ठेके के अर्न्तगत किसी भी शर्त अथवा दावे के संबंध में कोई विवाद हो तो उसे महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो कि बिना किसी शर्त के ठेकेदार को मान्य होगा।
18. फर्म अपने कर्मियों को फोटो मय पहचान पत्र देगी जो कि कार्य करने के दौरान पहने रहेगें।
19. फर्म अपने व कर्मियों के निवास स्थान का पूरा पता मय सबूत (परिचय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) लिखित में देगा ताकि डाक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गये नोटिस पत्र या सूचना ठेकेदार को प्राप्त हो सके ।
20. फर्म जिन कर्मियों को कार्य पर उपलब्ध कराएगीं उनकों कार्यालय के सभी नियमों का पालन करना होगा तथा कार्यालय की कोई भी सूचना किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा।
21. बाह्य स्त्रोत से रखे जाने वाले कर्मी केवल और केवल ठेके के कर्मी होंगे। उनके साथ कार्यालय का कोई सम्बन्ध नही होगा तथा बाद में वह नियमित कर्मचारी होने का कोई दावा पेश नही करेगा।
22. फर्म की प्रतिभूति की राशि ठेका समाप्त होने के दो माह के बाद लौटाई जायेगी । ठेके की समाप्ति पर या ठेका की शर्त के प्रावधान की कार्यवाही के बाद प्रतिभूति की राशि अथवा बची हुई राशि फर्म को उनके लिखित आवेदन पर लौटा दी जावेगी ।

23. यदि फर्म के कर्मियों के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई या उसके खिलाफ कोई शिकायत पायी गयी तो उस कर्मी को उसी दिन कार्यस्थल से हटाना होगा तथा उस कर्मी की उक्त दिन की मजदूरी देय नहीं होगी।
24. भुगतान के समय फर्म के बिल की राशि से नियमानुसार TDS, GST आदि की कटौती की जायेगी।
25. यदि यह प्रमाणित होता है कि कार्यालय के परिसर में फर्म कर्मियों द्वारा कोई भी चोरी या सरकारी सम्पत्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है तो आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी व हानि की राशि फर्म द्वारा वहन की जायेगी।
26. उक्त शर्तो के पालनार्थ ठेकेदार को नियमानुसार गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र/सहमति पत्र देना होगा।
27. विभागीय शर्तों के अलावा फर्म की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदा को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को होगा।
28. महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को यह पूर्णतया अधिकार होगा कि वे किसी भी टेण्डर/निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/कल्याण प्रकोष्ठ